

Order No:-293L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Unmesh Bhaiyasaheb Patil** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. 260 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ईद्रायणी प्रदिप पाटील	प्रदिप विलास पाटील, मो-9665762760	1	जलगांव
2	निखील चावदास सोनवणे	चावदास गोवींद सोनवणे, मो-8411821536	8	जलगांव
3	धनंजय गणेश चौधरी	गणेश सुरेश चौधरी, मो-9595952016	6	जलगांव
4	सार्थक सुशिल कुमार पाटील	सुशील कुमार ज्ञानेश्वर पाटील, मो-9673324333	1	जलगांव
5	राहत फारुख तांबोकी	फारुख अब्दुल तांबोकी, मो-9404058771	1	जलगांव
6	आरुषी निलेशसिंग परदेशी	नीलेशसिंग रमेशसिंग परदेशी, मो-9423939201	1	जलगांव
7	निनाद रविंद्र कमोद	रविंद्र भास्कर कमोद, मो-9325548999	2	जलगांव
8	दिपक शरद मुंगड	शरद पुरुषोत्तम मुंगड, मो-9765880714	2	जलगांव
9	सर्वेश दिपक जाधव	दिपक गोकुल जाधव, मो-8275633072	8	जलगांव
10	चिन्मय शिवाजी जाधव	शिवाजी आबाजी जाधव, मो-9881738131	4	जलगांव

क० पृ० उ०  
पि. काकुर

निर्देश :-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **MUMBAI** संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)